

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/128
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00122

दिनांक: 20.04.2017

अपीलकर्ता : श्री मृणाल कान्ति रक्षित,
क्वार्टर नं. सीडी/259/2,
सेक्टर - 2, पो - धुर्वा,
रांची - 834004, झारखंड।

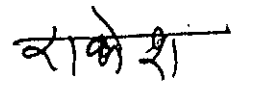
निर्णय की तारीख: 20.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	आर.टी.आई. आवेदन दाखिल नहीं की गई है
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	-----
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	-----
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.01.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	107151/02.02.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	159/13.04.2017

1. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने आयोग में कोई आर.टी.आई. आवेदन नहीं दाखिल किया है बल्कि दिनांक 20.12.2016 को आयोग में एक अपील दाखिल की है। उसी अपील के संबंध में अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है जो कि दिनांक 02.02.2017 को आयोग में डायराइज हुआ तथा डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रथम अपील के संदर्भ में अपीलकर्ता को अद्यतन करवाया जाता है कि प्रथम अपील केवल सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दाखिल आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में ही किया जाता है, चूंकि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.12.2016 को दाखिल किया गया आवेदन आर.टी.आई. आवेदन नहीं बल्कि अपील था, अतः अपीलकर्ता के दिनांक 24.01.2017 के प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

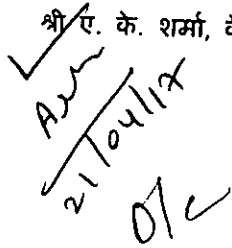
2. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

3. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


21/04/17
OK

